न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-583 RAAJodhpur2025-269RTA223 Chandrakanta Vs Tulchhi devi etc

चन्द्रकांता पत्नी श्री जयराम पटेल निवासी पटवारी का बेरा ग्राम हर्ष तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर (राज)।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. तुलछी देवी पत्नी स्व लाबुराम
2. ओमप्रकाश पुत्र लाबूराम,
3. हरिराम पुत्र लाबूराम
4. अनिल पुत्र लादूराम
   निवासीगण पटवारी का बेरा, ग्राम हर्ष तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राज)
5. दिनेश पुत्र पुखराज
6. महेन्द्र पुत्र पुखराज
   निवासीयान पटवारी का बेरा, ग्राम हर्ष, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राज), व्यवसायिक स्थल– भगवती जनरल स्टोर, पुरानी सब्जी मण्डी लक्ष्मी सिनेमा के पास बिलाड़ा जिला जोधपुर (राज))
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयन बिलाड़ा।
8. शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा बिलाड़ा जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2024
सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 66/2024
तुलछी देवी व अन्य बनाम चन्द्रकांता इत्यादि

उपस्थित–
श्री सुनिल पटेल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से छः
श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 26 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 66/2024 अनवान तुलछी देवी व अन्य बनाम चन्द्रकांता इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 14 रकबा 0.8899 हैक्टेयर, खसरा नंबर 30 रकबा 1.9982 हैक्टेयर ग्राम हर्ष तहसील बिलाड़ा के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2024 के जरिये वाद स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलार्थीनी पर न तो सम्मनो की सम्यक तामील करवायी गई एवं न ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थीनी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत कर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2025 को उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया गया, किंतु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.2024 को अपास्त नहीं किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थीनी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया गया एवं वाद में अपीलार्थीनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सीधे ही पुनः पी.डी पालना हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को तहरीर जारी कर दी गई। अपीलार्थीनी को अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत करने व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होने से वह अपना पक्ष नहीं रख सकी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या 66/2024 अनवान तुलछी देवी व अन्य बनाम चन्द्रकांता इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थीनी की समुचित सुनवाई उपरांत मामले में विधिनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पुनः पारित किये जाने के निर्देशों के साथ मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड डाक से सम्मन प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किये गये। रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित सम्मन अपीलार्थीनी पर विधिवत रूप से तामिल होने के बावजुद भी वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुई, तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2024 को अपीलार्थीनी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादीगण की साक्ष्य पूर्ण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.2024 पारित कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के हिस्से की भूमि के सम्बंध में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को निर्देश दिये गये। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलार्थीनी के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक–हिस्से मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है तथा न ही अपीलार्थीनी द्वारा इस बाबत कोई उज्र उठाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्राथ्रना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी स्वीकार कर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, किंतु अपीलार्थीनी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर चाजारोही किये जाने के बजाय विभाजन के वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर मामले का लंबा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की बहस सुनकर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को पारित निर्णय दिनांक 23.06.2025 द्वारा खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 6323/2025 पेश की है। राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 14.11.2025 को आदेश पारित किया तथा पारित आदेश द्वारा अपीलाण्ट की निगरानी को सारहीन होने से ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज किये जाने का आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2025 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.12.2024 की पालना हेतु पुनः तहरीर जारी किये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का आदेश पारित किया, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद को पुनः लम्बित करने के दुराशय से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत पाये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादग्रस्त भूमि ग्राम हर्ष तहसील बिलाड़ा के खसरा नंबर 14 रकबा 0.8800 हैक्टैयर, खसरा नंबर 30 रकबा 1.9982 हैक्टेयर में की जमाबंदी/राजस्व रेकर्ड में में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वर्तमान में जमाबंदी में दर्ज हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल/परिवर्तन नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा भीं हक हिस्से परिवर्तित होने के संबंध में किसी प्रकार के कथन नहीं किये गये है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी स्वीकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। इसके बावजूद अपीलार्थीनी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किये जाने के बजाय वाद को खारिज किये जाने हेतु आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई उपरांत खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से भलीभांति साबित है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी को समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद पुनः विधिनुसार तहसीलदार से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हे।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 66/2024 अनवान तुलछी देवी व अन्य बनाम चन्द्रकांता इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार बिलाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान् को सम्यक रूप से सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में विधिनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले का न्यायोचित निस्तारण करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-583 RAAJodhpur2025-269RTA223 Chandrakanta Vs Tulchhi devi etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
चन्द्रकांता पत्नी श्री जयराम पटेल निवासी पटवारी का बेरा ग्राम हर्ष तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर (राज)।	ब ना म	1. तुलछी देवी पत्नी स्व लाबुराम 2. ओमप्रकाश पुत्र लाबूराम, 3. हरिराम पुत्र लाबूराम 4. अनिल पुत्र लादूराम निवासीगण पटवारी का बेरा, ग्राम हर्ष तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राज) 5. दिनेश पुत्र पुखराज 6. महेन्द्र पुत्र पुखराज निवासीयान पटवारी का बेरा, ग्राम हर्ष, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राज), व्यवसायिक स्थल– भगवती जनरल स्टोर, पुरानी सब्जी मण्डी लक्ष्मी सिनेमा के पास बिलाड़ा जिला जोधपुर (राज)) 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयन बिलाड़ा। 8. शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा बिलाड़ा जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2024 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 66/2024 तुलछी देवी व अन्य बनाम चन्द्रकांता इत्यादि

यह अपीले बतारीख 26 मई 2026 बहाजरी अधिवक्ता श्री सुनिल पटेल, मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 66/2024 अनवान तुलछी देवी व अन्य बनाम चन्द्रकांता इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार बिलाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान् को सम्यक रूप से सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में विधिनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले का न्यायोचित निस्तारण करे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ——00——) रूपये ————00———— अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ——00——— अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 26 मई 2026 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर